PUC-187

D.D. (Trg.)

6/12/06

राजस्थान सरकार
स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग
प्रारंभिक शिक्षा विभाग (आयोजना) अनुभाग

क्रमांकः प.15(5)शिक्षा-1/प्रा.शि./2003 पार्ट-I

जयपुर, दिनांकः01/12/06

प्रा.शि./मिली 3074

8 DEC 2006

आयुक्त,
प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर।

विषयः राज्य में निजी क्षेत्र में संचालित शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को दो वर्षीय शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शैक्षिक सत्र 2006-07 के लिए प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित किये जाने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार निम्नलिखित 04 निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को वर्ष 2006-07 में संस्थान के नाम के सम्मुख कॉलम संख्या 3 में अंकित प्रशिक्षण पाठयक्रम में कॉलम संख्या 4 में अंकित सीटों की संख्या के साथ प्रवेश प्रक्रिया हेतु काउन्सलिंग में सम्मिलित करने की स्वीकृति इस शर्त के तहत प्रदान की जाती है कि ये संस्थाएं एनसीटीई/राज्य सरकार के नोर्म्स के अनुसार योग्य स्टॉफ की नियमानुसार नियुक्ति, आदेश जारी होने की तिथि के एक माह में पूर्ण कर शर्त विहीन मान्यता प्राप्ति आदेश (Unconditional Recognition order) एनसीटीई से प्राप्त कर प्रस्तुत करेंगी अन्यथा संबंधित संस्थान का प्रकरण एनसीटीई को मान्यता समाप्ति के लिए अग्रेषित कर दिया जावेगा।

क.सं	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	सीट संख्या
1	2	3	4
1.	एस.एस.जी. पारीक कालेज आफ एज्युकेशन, बनीपार्क, जयपुर	एन.टी.टी.	50
2	मॉ दुर्गा शिक्षण संस्थान वोमेन्स टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, जैसलमेर	एस.टी.सी.	50
3	शंकर टीचर्स ट्रेनिंग इन्सटीट्यूट कूकस, जयपुर	एस.टी.सी.	50
4	मॉडर्न टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, चुरू	एस.टी.सी.	50

उपरोक्त वर्णित संस्थाओं में निम्न शर्तों के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ करवाई जावें।

1. प्रवेश हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता सीनियर सैकण्डरी अकादमिक परीक्षा (10+2) अथवा समकक्ष परीक्षा कम से कम 45 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण होना चाहिये, इन परीक्षाओं को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर के समकक्ष राज्य सरकार की मान्यता पर ही प्रवेश दिया जाये। इसी के साथ अभ्यर्थी को सैकण्डरी अथवा समकक्ष परीक्षा न्यूनतम 5 विषयों के साथ जिनमें से 3 विषय हिन्दी, अंग्रेजी व गणित आवश्यक रूप से हों, उत्तीर्ण होना चाहिये।